राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (वी–41) अलेसे– I/ दिनांकः– 2-1-2014

आदेश संख्याः 332/2013–14

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेंज उदयपुर ने पत्र क्रमांक 443–45 दिनांक 08.04.2013 के द्वारा अभियोग संख्या 484/2012 अन्तर्गत धारा 7, 13(1), (डी), 13,(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं 120 बी भा0द0स0 में श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित सहायक लेखाधिकारी (निलम्बित) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के विरूद्ध रिश्वत प्रकरण में लिप्त पाये जाने पर अभियोजन स्वीकृति जारी करने के संबंध में प्रस्ताव भिजवाये, जिन पर अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श किया गया। अनुसंधान अधिकारी से किये गये विचार विमर्श एवं तथ्यों, दस्तावेजों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में परीक्षण करने पर पाया गया कि श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने का प्रकरण निम्न बिन्दुओं के आधार पर नहीं बनता है :–

1. ग्राम पंचायत टामटिया की ऑडिट का कार्य दिनांक 22.08.2012 को ही पूर्ण हो गया था जबकि शिकायत कर्ता ने शिकायत दिनांक 05.12.2012 को की थी।

2- श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित सहायक लेखाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत टामटिया एवं पंचायत समिति पीपलखूंट की ऑडिट रिपोर्ट अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर को दिनांक 23.11.2012 को ही प्रस्तुत कर दी थी। अतः शिकायत की दिनांक को श्री दीक्षित के पास कोई कार्य लम्बित नहीं था।

3- शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में श्री दीक्षित सहायक लेखाधिकारी के विरूद्ध रिश्वत की मांग का कोई उल्लेख नहीं किया था अपितु सचिव द्वारा रिश्वत की मांग का उल्लेख किया था।

अतः श्री दीक्षित के विरूद्ध अभीयोजन स्वीकृति जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है, इसका अनुमोदन सक्षम स्तर पर गृह विभाग की आई डी संख्या 4859/एसीएस/एच दिनांक 12.12.2013 एवं वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.2(8)वित्त /राजस्व/08पार्ट दिनांक 17.12.2013 के द्वारा किया गया है।

अतः श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित सहायक लेखाधिकारी को तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है। श्री दीक्षित को निलम्बन से बहाली पर आदेशों की प्रतिक्षा में रखते हुए मुख्यालय कोषालय उदयपुर (ग्रामीण) किया जाता है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (वी–41) अलेसे– I / 7349-7355 दिनांकः– 2-9-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों रेंज उदयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर।
4. कोषाधिकारी, उदयपुर (ग्रामीण / शहर)।
5. श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित,, सहायक लेखाधिकारी, (निलम्बित) कार्यालय कोषाधिकारी उदयपुर शहर को पालनार्थ।
6. उपनिदेशक, (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
7. निजी सहायक निदेशक महोदया।
8. पदस्थाप सीट।

(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)